



RERA REGISTRATION NO.: 11 of 2017 dated 30.06.2017 (www.haryanarera.gov.in)

पूचना

Licence No.: 01 of 2016 dated 04.02.2016

परियोजनाः Orchard Avenue कमर्सियल स्पेसः Signum 93 जबकि

1 निम्नलिखित आवंटियों को उपरोक्त परियोजना में उनके आवंदन के तदनानुसार निम्नलिखित इकाइया आवंटित की गयी थी:

तप्रानुतार निमालाखत इकाइया जापाटत का नेपा थाः						
क्रमांक		आवंटित	बीबीए तिथि	त्रिपक्षीय	रद्द करने की	उक्त बैंक पत्र के बारे में आवटी को
	का नाम	इकाई	ાતાથ	समझौता तिथि	बैंक के पत्र	सचित करने वाले
					की तिथि	पंत्र की तिथि
1	VIKRAM SINGH Chauhan	B-804	15.05.2018	24.05.2018	20.08.2021	14.10.2022
2	VARSHA Bhattacharjee	A-408	15.03.2018	14.03.2018	20.08.2021	14.10.2022
3	ANIL KUMAR Singh	F-504	12.04.2019	10.04.2019	26.07.2022	14.10.2022
4	HARISH KUMAR	A-108	24.04.2019	23.05.2019	20.08.2021	14.10.2022

- उपरोक्त आवटियों ने संबंधित बैंक के साथ प्रासंगिक समय पर एक त्रिपक्षीय समझौता किया था और तदनुसार, ऋण वितरित किया गया था।
- उक्त त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार उक्त ऋण के मुगतान में चूक की स्थिति
 में आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और प्राप्त राशि का मुगतान संबंधित बैंक
 की सूचना पर बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को किया जाएगा।
- 4. संबंधित बैंक ने हमें सूचित किया है कि उपरोक्त आवंटियों ने उक्त ऋण राशि के मुगतान में चूक की है और साथ ही आवंटन को उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद सीघे बैंक को चुकाने के लिए कहा है।
- 5. उपरोक्त आवंटियों को उचित समय पर इस सूचना के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि उपरोक्त आवंटियों की ओर से उक्त ऋण की अदायगी में हुई चूक को ठीक करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह सूचना एक बार पुनः दी जा रही है ।

इसके सूचना के जिएए सूचित किया जाता है उपरोक्त आवंटियों ने यदि उक्त ऋण की अदायगी में में हुई चूक को अगले 10 दिनों में ठीक नहीं किया तो हम उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार संबंधित बैंक के सूचनानुसार आवंटन को रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि को कटौती के बाद शेष राशि को सीधे बैंक को चुकाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मामले में, उपरोक्त आवंटियों के पास उक्त आवंटन पर कोई ग्रहणाधिकार या दाता नहीं रहेगा और कंपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी मी व्यक्ति एवम पार्टी को उक्त आवंटन को बेचने, देने या स्थानातरित करने की हकदार होगी।